"सोनिया देवी मिश्री यादव, डिग्री महाविद्यालय धोरैया (बांका)"

की

नियमावली

1. संस्था का नाम : "सोनिया देवी मिश्री यादव, डिग्री महाविद्यालय धोरैया (बांका)"

2. परिभाषा

क) संस्था का अभिप्राय है : "सोनिया देवी मिश्री यादव, डिग्री महाविद्यालय धोरैया (बांका)"

ख) समिति से अभिप्राय है : संस्था की कार्यकारिणी समिति ।

ग) पदाधिकारी का अभिप्राय है : अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।

घ) वितीय वर्ष का कार्य है : 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ।

इ) ऐक्ट से अभिप्राय है : सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860

3. सदस्यता :

प्रत्येक व्यक्ति जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक की हो जो संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का निष्ठा पूर्वक पालन करते हों वे संस्था के सदस्य बन सकते है। सदस्यता ग्रहण करने हेतु उसे विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। संस्था के प्रत्येक सदस्य को 51/- रूपये प्रवेश शुल्क एवं 51/- रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क देना अनिवार्य होगा।

4. सदस्यता से विमुक्ति :-

निम्नलिखित दशाओं में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जायेगी

क) स्वयं त्याग पत्र देने पर

ख) पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।

ग) न्यायालय द्वारा किसी फौजदारी मुकदमों में सजा पाने पर ।

घ) सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।

इ) लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर ।

च) अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।

छ) संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों के विरूद्ध आचरण करने पर ।

5. कार्यकारिणी समिति का गठन :-

क) कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित कम से कम 7 सदस्यों की होंगे।

ख) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आमसभा के द्वारा किया जायेगा ।

ग) कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्षो का होगा । सेवा निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते है ।

घ) यदि किसी कारणवश समिति में कोई पद रिक्त होगा तो उक्त पद पर किसी व्यक्ति को मनोनित कर सकती है। किन्तु वार्षिक बैठक में विधिवत चुनाव करा लेना होगा। मनोनित सदस्य उसी पद के अनुरूप कार्य करेंगे जिस पद के लिए उनका मनोनयन किया गया हो ।

6. **कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-**

क) संस्था के चल या अचल सम्पति के उत्तरदायी होगा ।

ख) संस्था के सभी कार्यो का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना।

ग) शाखा एवं उप शाखा का गठन करना ।

घ) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

ड़) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विचार विमर्श करना ।

च) संस्था के प्रति होने वाली नियंत्रण को बरकरार रखना ।

7. **आमसभा के अधिकार एवं कर्तव्य :**

क) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।

ख) संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार करना तथा स्वीकृति देना ।

ग) अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।

घ) अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना ।

8. **बैठक :**

क) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी ।

ख) आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी ।

ग) कार्यकारिणी समति की अत्यावश्यक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

घ) आम सभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

9. **प्रार्थित बैठक :**

एक तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर आवेदन प्राप्ति कर के एक माह के अन्दर सचिव को बैठक बुलाना होगा। आवेदन पत्र में विचारणीय विषय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक नहीं बुलाते है तो आवेदकों को अधिकार होगा कि आवेदन में उल्लिखित विषय के निर्णय हेतु उक्त अवधि के उपरान्त बैठक का आयोजन कर सकते हैं ।

10. **बैठक की सूचना :**

क) कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जाएगी ।

ख) आम सभा के साधारण बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जाएगी ।

ग) कार्यकारिणी समिति की आवश्यकता बैठक की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जाएगी।

घ) बैठक की सूचना डाक पंजी या विशेष दूत द्वारा दी जाएगी ।

इ) आम सभा की आवश्यक बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जाएगी ।

11. **पदाधिकारियों का कर्तव्य एवं अधिकार :-**

अध्यक्ष :

क) संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।

ख) कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना ।

ग) किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।

सचिव :

क) संस्था के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।

ख) बैठक की कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में अंकित करना तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।

ग) प्रत्येक पंजी एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।

घ) संस्था की ओर से पत्राचार करना ।

इ) संस्था के आय-व्यय का अंकेक्षण करना ।

च) कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश कार्यकारिणी सिमति के सलाह पर करना ।

छ) संस्था के हित में कार्य करना ।

ज) आवश्यकता पड़ने पर समिति के पूर्वानुमति के 10000/- रू0 तक व्यय करना ।

झ) संस्था की प्रगति से प्रत्येक सदस्य को अवगत कराना ।

कोषाध्यक्ष :

क) संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और अध्यक्ष के द्वारा आहूत बैठक में प्रस्तुत करना ।

ख) संस्था के सदस्यता शुल्क इत्यादि प्राप्त कर रसीद देना ।

ग) संस्था के कोष किसी निबंधित बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा करना ।

घ) सदस्यों एवं गैर सदस्यों से मिलने वाली रकम को पंजी में अंकित करना।

12. **कोष का संचालन :**

संस्था के कोष का संचालन संस्था के नाम खुले डाकघर या राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा की जायेगी तथा सभी रकम की निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षर की जायेगी ।

13. **कोरम :**

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा । कोरम के आभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।

14. **आय का श्रोत :**

क) प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क

ख) सरकारी, गैर-सरकारी दान, अनुदान, विशेष शुल्क एवं चन्दा तथा ऋण ।

ग) संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से ।

घ) सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा ।

15. **पंजी का निरीक्षण :**

संस्था की सभी पंजिका निबंधित कार्यालय में जमा रहेगी । जहाँ कोई भी सदस्य या कोई भी पदाधिकारी सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते है ।

16. **निधि का अंकेक्षण :**

क) संस्था की आय-व्यय का अंकेक्षण नियमित रूप से रखा जायेगा तथा आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षित कराया जायेगा ।

ख) निबंधिन महानिरीक्षक कभी भी अपने विवेक से संस्था का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट से करा सकते हैं । इस अंकेक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेंट का शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जायेगा ।

17. **कानूनी कार्रवाई :**

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता को नियुक्ति समिति की सलाह से की जायेगी ।

18. **नियमावली में संशोधन :-**

नियमावली में किसी भी प्रकार का संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा ।

19. विघटन :

क) आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जोयगा ।

ख) संस्था के विघटनोपरांत जो चल या अचल संपत्ति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नही बांटी जायेगी बल्कि आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर समान उद्देश्य वाली दूसरी संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

ग) संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 21, 1860 की धारा 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रति है ।

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

सचिव

14.12.07